न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 82/2018

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 80/18

राजस्थान सरकार जरिये अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी, सरवाड।

................प्रार्थी

बनाम

1.श्री कुर्बान अली उर्फ छोटू पुत्र श्री मो0 अब्दुल्ला
निवासी–बडे मन्दिर के पास, सरवाड शहर।
2. श्री इमरान खान पुत्र श्री मो0 इब्राहिम,
निवासी–बोकडा मोहल्ला, सरवाड पुलिस थाना सरवाड। ....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
2. श्री उत्तम गुरूबक्षानी अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1,2

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 31.10.2018

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 30.7.2018 को पुलिस थाना सरवाड से दुरभाष पर प्राप्त अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी सरवाड मोमीन मस्जिद के पीछे वाली गली वार्ड 15 दरगाह क्षेत्र सरवाड शहर में जांच करने पर अप्रार्थी संख्या 01 को 850/– रूपये प्रति सिलेण्डर की दर से मारूती वेन संख्या आर.जे.यु.ए.–0352 में घरेलु गैस सिलेण्डर से जुगाडनुमा रिफलिंग मशीन से गैस भरते हुए पाया गया। अप्रार्थी कुर्बान अली द्वारा उक्त स्थान पर श्री सलाम कुरेशी से किराये का कमरा लेकर अवैध गैस रिफलिंग का व्यवसाय किया जाना पाया गया। मौके पर तलाशी दौरान अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भण्डारित 6 गेस सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन ओर पाई गई। जिनके संदर्भ में श्री कुर्बान अली के पास कोई उपभोक्ता डायरी,बिल–वाउचर आदि दस्तावेज नहीं पाये गये एवं ना ही गैस रिफलिंग किये जाने का कोई अनुमति/अनुज्ञा पत्र पाया गया। जांच में वाहन संख्या आर.जे.यु.ए.–0352 के स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अवैध रूप से गैस रिफलिंग कराने के लिए उक्त वाहन मौके पर लेकर आना पाया गया। अप्रार्थी के पास इतनी संख्या में गैस सिलेण्डर एवं उसके साथ रिफलिंग मशीन एवं वाहन का पाया जाना अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से व्यवसायिक तौर पर गैस रिफलिंग की पुष्टि करता है। इस तरह से उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण अवैध गैस रिफिलिंग के व्यवसाय का पाये जाने पर मौके से जप्त समस्त सामग्री 07 घरेलु गैस सिलेण्डर एवं 02 रिफलिंग मशीनें कब्जेराज ली जाकर गायत्री गैस सर्विस सरवाड के कार्मिक श्री मोहम्मद सलीम पुत्र पीर मोहम्मद को सुपुर्द की गई तथा मारूती वेन कब्जे राज लेकर पुलिस थाना सरवाड की कस्टडी में रखवाई गई। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 के क्लॉज–3 (1)(क,ख, ग) 4 (1)(क,घ) का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपराध है। जब्त शुदा 03 बडे व्यवसायिक सिलेण्डर 04 छोटे घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 रिफलिंग मशीन एवं 01 मारूती वैन कार को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को मूल प्रकरण एवं सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 30.7.2018 को पुलिस थाना सरवाड से दुरभाष पर प्राप्त अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी सरवाड मोमीन मस्जिद के पीछे वाली गली वार्ड 15 दरगाह क्षेत्र सरवाड शहर में जांच करने पर अप्रार्थी संख्या 01 को 850/– रूपये प्रति सिलेण्डर की दर से मारूती वेन संख्या आर.जे.यु.ए.–0352 में घरेलु गैस सिलेण्डर से जुगाडनुमा रिफलिंग मशीन से गैस भरते हुए पाया गया। अप्रार्थी संख्या एक द्वारा भण्डारित 6 गेस सिलेण्डर व एक रिफलिंग मशीन का बिना कोई दस्तावेज के पाया जाना मौके पर अवैध गैस रिफलिंग के तथ्य की पुष्टि करता है। जांच में वाहन संख्या आर.जे.यु.ए.–0352 के स्वामी अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अवैध रूप से गैस रिफलिंग कराने के लिए उक्त वाहन मौके पर लेकर आना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य एल.पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 के क्लॉज–3 (1)(क,ख, ग) 4 (1)(क,घ) का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 03 बडे व्यवसायिक सिलेण्डर 04 छोटे घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 रिफलिंग मशीन एवं 01 मारूती वैन कार को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जब्त सभी सिलेण्डर पूर्ण रूप से खाली बताये गये है। इससे गैस भरते हुए पाये जाने के कथनों की पुष्टि नहीं होती है। 850/– रूपये प्रति सिलेण्डर वाहन में गैस भरे जाने कथन के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब्त किये गये सिलेण्डर व्यवसायिक है जो अप्रार्थी के रेस्टोरेन्ट में उपयोग किये जाते है। अप्रार्थी संख्या 02 वाहन का स्वामी है परन्तु उनके द्वारा वाहन में अवैध गैस रिफलिंग किये जाने के कोई तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं है। वक्त निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैध गैस रिफलिंग नहीं की जा रही थी। खाली सिलेण्डरों को रिफलिंग के लिए ले जाते दौरान इनकी जब्ती की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र तथ्यों बाबत पुसिल थाना सरवाड के किसी अधिकारी/कर्मचारी या अन्य स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रकरण में जब्त वाहन मारूती वैन संख्या आर.जे.यु.ए.–0352 को सुपुर्दगी पर छोडने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 451, 457 द.प्र.सं. का उल्लेख करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा आदेशित जमानत एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने हेतु तैयार एवं तत्पर है। उन्हौने यह भी कथन किया कि जब्त वाहन प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के आवश्यक कार्य हेतु जाने के उपयोग मे आता रहता हैं। इसके अधिक समय तक जप्त रहने से अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के परिवार पर विपरीत प्रभाव पड रहा है एवं भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। अवैध रिफलिंग के कथन बिल्कुल असत्य है। अतः उपरोक्त तथ्यों

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

के मध्यनजर उक्त जप्त सिलेण्डर एवं मारूति वेन को छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच मारूति वैन सं. आर.जे.यु.ए.–0352 में जुगाडनामा रिफलिंग मशीन से गैस भरी जानी पाया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर अवैध रिफलिंग का कार्य होना, मौके से कुल 07 गैस सिलेण्डर का बिना कोई वैध दस्तावेज के पाया जाना, तथा अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा गैस से चलने वाली गाडियों में 850/–रूपये में गैस भरना स्वीकार करना, उक्त स्थान पर अवैध रूप से वाहनों में रिफलिंग के व्यवसाय की पुष्टि करता है। घरेलू गैस सिलेण्डर का अन्यथा उपयोग वर्जित है इसके बावजूद वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाना पूर्णरूपेण अवैधानिक है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू वाहनों में रिफिलिंग, वैन मालिक अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अवैध रूप से रिफिलिंग में सहयोग व घरेलू गैस का अन्यत्र उपयोग करना एल.पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश–2000 के क्लॉज–3 (1)(क,ख, ग) 4 (1)(क,घ) का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौके से जप्त समस्त सामग्री 07 गैस सिलेण्डर, 02 रिफलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। वाहन आर.जे.यु.ए.–0352 के टैंक में रिफिलिंग मशीन के जरिऐ अवैध उपयोग की मंशा से घरेलू गैस भरवाने के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत वाहन आर.जे.यु.ए.–0352 पर रूपये 50,000/– (अक्षरे रूपये पचास हजार मात्र) का जुर्माना कायम किया जाता है। राशि जमा होने पर उपरोक्त वाहन के किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। आदेश प्रति सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र के संलग्न हों। प्रार्थना पत्र दर्ज/फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31..10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते अजमेर

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner